

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दर्ता/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 444]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2017 — आश्विन 17, शक 1939

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ-25-8/2011/नौ/55. — खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 70 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाने हुये तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-8/2011/नौ/55, दिनांक 13 सितम्बर, 2012 को अधिकमित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 68 के अधीन संबंधित जिले में कार्यरत न्याय निर्णायक अधिकारी के विनिश्चयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिये, प्रत्येक सिविल जिले में उस जिले के सिविल क्षेत्रीय अधिकारिता के लिए खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण की स्थापना करती है तथा प्रत्येक सिविल जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को, उक्तवत स्थापित खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ-25-8/2011/नौ/55. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9-10-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 9th October 2017

NOTIFICATION

No. F-25-3/2008/IX/55. — In exercise of the powers conferred by Section 70 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (No. 34 of 2006), and in supersession of this department's notification No. F-25-3/2008/IX/55, dated 13th September 2012, the State Government, hereby, establishes the Food Safety Appellate Tribunal in every civil district for civil territorial jurisdiction of that district to hear the appeals from the decisions of the Adjudicating Officer working in the concerned district under Section 68 of the said Act ; and appoints District and Sessions Judge of every Civil District as Presiding Officer of the Food Safety Appellate Tribunal established as above.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.